18.03.25 पत्रावली पेश। उभय पक्षकार वकील उप०। अप्रार्थी सं. 3, 5, 7, 8 को कई-कई कर तीन बार आवाज दिलवाई गई, कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 4 व 6 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांभर
(उपखण्ड अधिकारी, सांभर)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा मौखुपुरा के आराजी ख.नं. 2656, 2660, 2661, 3944/3888, 2657 रकबा क्रमशः 0.35, 0.03, 1.08, 1.4383 0.07 हैक्टेयर में पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक जारी फरमावें।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढ़त एवं सारहीन होने से प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रथम द्रष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:आदेश:

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

अत: अप्रार्थीगण [illegible] के निस्तारण तक [illegible] की जाती है कि मौजा निषेधाज्ञा जारी की जाती [illegible]

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

मु. नं. 102/2024

मौखुपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2656, 2660, 2661, 3944/3888, 2657 रकबा क्रमशः 0.35, 0.03, 1.08, 1.4883, 0.07 हेक्टेयर में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, स
(उपखण्ड अधिकारी, स

Scanned with OKEN Scanner